चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 02.04.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). आज दिनाँक 02.04.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनांक 02.04.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा पुलिस लाइन में मंगलवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। परेड में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिसकर्मियों की ड्रिल का निरीक्षण किया। बाद परेड महोदय द्वारा पुलिस लाइन का भ्रमण कर परिवहन शाखा, मैस, बैरिक, आरओ प्लांट, क्वार्टर गार्द का निरीक्षण कर प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन श्री शिवनारायण को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। तत्पश्चात महोदय द्वारा कर्मचारीगणों को अर्दली रुम किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टिगत अपराध एवं अपराधों की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में चौकी प्रभारी सरैंया श्री यदुवीर सिंह तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0स0 59/24 धारा 452,376,506 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त रज्जू यादव पुत्र पुरुषोत्तम निवासी ग्राम गड़चपा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद कारतूस नाजायज 315 बोर के गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 61/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

एक अदद तमंचा मय 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

अपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 68/18 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट

2.मु0अ0स0104/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम

3.मु0अ0स0 59/24 धारा 452/376/506 भादवि0

4. मु0अ0सं0 61/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.चौकी प्रभारी सरैंया श्री यदुवीर सिंह

2.मुख्य आरक्षी दशरथ राम

3.आरक्षी राज मंगल

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में भोली-भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुण्डा गर्दी करने वाले 03 अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा तथा 04 अभियुक्तों के विरुद्ध मिनी गुण्डा की कार्यवाही की गयी।

(i).प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी द्वारा अभियुक्त 1.अवधेश तिवारी पुत्र रामकृपाल तिवारी 2. कृष्णअवतार पुत्र रामकृपाल निवासीगण गड़ौली थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट की तथा अभियुक्त 1. राजू खान पुत्र स्व0 नत्थू खां 2. रउफ खां पुत्र नत्थू खां निवासीगण धौरहरा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट के विरुद्ध थाना 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(ii).प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्याम प्रताप पटेल द्वारा अभियुक्त शीपू तिवारी पुत्र राजकुमार निवासी कस्बा व थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

(iii).प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार द्वारा अभियुक्त 1.रमेश उर्फ सुनील पुत्र रामसजीवन निवासी महुआ 2.घनश्याम उर्फ नाटे पुत्र चखरू निवासी सगवारा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 04 अभियुक्तों के कब्जे से 40 लीटर कच्ची व 17 क्वार्टर देशी शराब बरामद की।

(i). उ0नि0 श्री त्रिलोकीनाथ मिश्रा थाना पहाड़ी व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त सुशील कुमार पुत्र बलकेश्वर निवासी रेहुटा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 17 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया।

(ii). चौकी प्रभारी खण्डेहा श्री विनय विक्रम सिंह व उनकी टीम द्वारा भागवत प्रसाद पुत्र देवीदयाल निवासी रेड़ी भुसैली थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(iii). उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना राजापुर व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त योगेन्द्र सिंह पुत्र जगरुप सिंह निवासी महुवा गांव थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(iv). उ0नि0 श्री मुकेश परिहार थाना मानिकपुर व उनकी टीम द्वारा अभियुक्ता गुड़िया पत्नी नत्थू निवासी गढ़चपा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टिगत मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त विवेक सिंह पुत्र अरविन्द सिंह निवासी लोढ़वारा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किय गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-
01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा
गिरफ्तारी करने वाली टीमः-
1.उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता कोतवाली कर्वी
2.आरक्षी सुरेन्द्र कुमार

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी तथा उनकी टीम द्वारा अपने पति की हत्या कर शव को फंदे से लटकाने की आरोपी अभियुक्ता निशा देवी पत्नी स्व0 दीपक कुमार निवासी अरछा बरेठी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 29.03.2024 को वादी श्री कुंवर प्रसाद गुप्ता पुत्र रामसजीवन निवासी अरछा बरेठी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट द्वारा थाना सरधुवा में सूचना दी कि उनकी बहू निशा देवी ने अपने अज्ञात साथियों के साथ मिलकर उनके पुत्र की गला दबाकर हत्या करके आत्महत्या का रुप देने के लिये फांसी पर लटका दिया है । इस सूचना पर थाना सरधुवा में मु0अ0सं0 51/2024 धारा 302 भादवि0 पंजीकृत किया गया । पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एफआईआर का कथन पुष्ट होने पर प्रभारी निरीक्षक सरधुवा तथा उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये आज दिनाँक 02.04.2024 को उपरोक्त मुकदमें की नामजद अभियुक्ता निशा देवी पत्नी स्व0 दीपक कुमार निवासी अरछा बरेठी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया । पूंछतांछ में गिरफ्तार अभियुक्ता ने जुर्म स्वीकार करते हुये सहअभियुक्तों के बारे में भी जानकारी दी, आगे साक्ष्य संकलन के आधार पर शेष कार्यवाही की जायेगी ।
गिरफ्तार करने वाली टीमः-
1.प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी
2.उ0नि0 श्री शिवमणि पाण्डेय
3.आरक्षी शक्ति सिंह
4.महिला आरक्षी रचना प्रजापति